## कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती। पत्रांक – 354 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती २६ / ०१ /2020,1

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादुन।

विषय:— जनपद उत्तरकाशी में मुस्टिकसौड़—कुरोली मोटर मार्ग के ककराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.163 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/23851/2017.

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक-658 / 12-1, दिनांक- 14.08.2020 I

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपित का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र	आपत्ति	निराकरण
सं		
1.	Only administrative approval, geologist report and joint inspection report are found upload in part I.	As per user agency report all required documents have been uploaded as additional informations details in online Part-I.
2.	Only Digital map, Part I, II, III & V, Joint inspection report and site inspection report are submitted in hard copy.	उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव की हार्ड कॉपी इस कार्यालय का पत्रांक—340 / 12—1 दिनांक 29.08.2018 द्वारा आपको कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है।
3.	Total period for which the forest land proposed to be diverted is mentioned as 1 Year at para A online Part I.	As per user agency report the correct information has been filled (99 years) at para-A(x) in online part-I.
4.	FRA certificate is not found properly uploaded and also not clear.	As per user agency report FRA certificate has been properly uploaded at para-K(a) in online part-I.
5.	The number of trees affected is mentioned as 41 in hard copy, where as it is mentioned as 89 in the enumeration list uploaded in Part II.	उक्त प्रस्ताव में सिविल भूमि में कुल 96 तथा नाप भूमि में 13 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वन भूमि हस्तान्तरण गाईड लाईन 2014 के अनुसार नाप भूमि पर स्थित वृक्षों को ऑनलाइन नहीं भरा जाता है। उक्त प्रस्ताव में कुल 109 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से 41 वृक्ष बांज प्रजाति के हैं। किन्तु ऑनलाइन पार्ट—॥ में सिविल भूमि पर अवस्थित 96 वृक्षों को ही भरा गया है, नाप

		भूमि पर अवश्थित 13 वृक्षों को ऑनलाईन नहीं भरा गया है, आपके सङ्गान हेतु प्रभावित वृक्षों की सूची संलग्न कर प्रेवित है।(संलग्न वृक्षों की सूची)
6.	At para 15 against S.No. 5.5 and 5.5 (a) In part II no comment are made by D.F.O.	As per site inspection report again para 5.5- "No" and 5.5(a)- "Yes" & 5.5(b)- "No" has been recommended. Proposal has been recommended for approval.
7.	Total trees affected are mentioned as 89 over 1.163 ha and density is mentioned as 0.1 which does not seen to be correct.	उक्त प्रस्ताव में सिविल भूमि पर अवरिधत 96 वृक्षों के अनुसार घनत्व निकाला गया है, जो कि 0.2 है। संशोधित एन०पी०वी० प्रमाण पत्र ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(एन० एन्छ पाण्डेय) वन संप्रक्षक

संख्या - 354/

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि — प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (एन० एन० पाण्डेय) वन संरक्षक